

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 127] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 1979/चैत्र 1, 1901
No. 127] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 1979/CHAITRA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

पेंडेंटिलियम, रसायन और उर्बरक मंत्रालय

(रसायन और उर्बरक विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1979

आवृत्ति

का. आ. 152 (अ).—केंद्रीय सरकार, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आवृत्ति, 1970 के पैरा 4 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पेंडेंटिलियम, रसायन, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के आवृत्ति संख्या 1873, तारीख 18 मई, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं अर्थात् :—

उक्त आवृत्ति से संलग्न तालिका में, क्रम संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाव निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“122 सल्फामेथोक्साजोल 801.62 रुपये प्रति किलोग्राम”

[संख्या 8/58/76-कैम. 1]

एम. एस. पंडित, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS

(Department of Chemicals and Fertilisers)

New Delhi, the 20th March, 1979.

ORDER

S.O. 152 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970, the Central Government hereby makes the following further amendment to the Order of the Government of India in the late Ministry of Petroleum, Chemicals, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S.O. 1873 dated the 18th May, 1970, namely :—

In the Table annexed to the said Order, after S. No. 21 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"22 Sulphamethoxazole Rs. 601.62 per kg."

[No. 8(58)/76 Ch. 1]

M. S. PANDIT, Dy. Secy.